९५

संख्या एस-11011/1/2014-एसबीएम
भरत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 02.12.2016

सेवा मे,

मुख्य सचिव/सचिव
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: एसबीएम (जी) के अंतर्गत आईईसी कार्यकलापों और आईईसी निधियों के उपयोग पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदया/महोदय,

यह देखा गया है कि चूँकि एसबीएम (जी) कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक जिले ओडीएफ बनते जा रहे हैं, कुछ राज्यों ने ओडीएफ के बाद आईईसी कार्यकलापों के लिए आईईसी निधियों की उपलब्धता पर अपनी चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि एसबीएम (जी) दिशा निर्देशों के पैरा 5.2.9 के अनुसार, ओडीएफ के पहले और ओडीएफ के बाद दोनों ही अवधि के लिए आईईसी कार्यकलाप किए जा सकते हैं।

2. कुछ राज्यों ने यह संदेह भी व्यक्त किया है कि क्या आईईसी निधियों का उपयोग शौचालय निर्माण, एसएलडब्ल्यूएम आदि पर किए गए व्यय पर निर्भर करता है। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि एसबीएम (जी) दिशानिर्देशों में आईईसी निधियों के व्यय को शौचालय निर्माण पर हुए वास्तविक व्यय से नहीं जोड़ा गया है। आईईसी कार्यकलापों को शौचालय निर्माण से जोड़े बिना भी आईईसी व्यय के लिए दी गई सीमा की शर्त के अधीन स्वतंत्र रुप से चलाया जा सकता है।

भवदीय

(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24269654
ई मेल आईडी :- sunil.kumar70@nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. एसबीएम (जी) समन्वयक, सभी राज्य
2. टीडी (एनआईसी) वेबसाइट पर डालने हेतु